



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, एम०जी० रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2026**

विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक सन्त कबीरदास जी की समाधि एवं मजार, मगहर, सन्त कबीर नगर पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1902/प्रथम-79 वृहद अनु० (113)/2025, दिनांक 01 जनवरी, 2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक में राज्य संरक्षित स्मारक सन्त कबीरदास जी की समाधि एवं मजार, मगहर, सन्त कबीर नगर पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु **रु० 28.05 लाख** की संस्तुति प्रदान की गई है। शासन के पत्र संख्या - 1758/चार-2025-1927234 दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्य अनुमोदित है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार **राज्य संरक्षित स्मारक सन्त कबीरदास जी की समाधि एवं मजार, मगहर, सन्त कबीर नगर** पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु **रु० 28.05 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख पांच हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रु० 22.94 लाख (रूपये बाईस लाख चौरानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण का कार्य विषय विशेषज्ञों एवं उनके अधीन कार्य करने वाली तकनीकी टीम द्वारा कराया जायेगा जिससे प्राचीन भवन सामग्रियों का उपयोग कर जीर्ण -शीर्ण भवनों के मूल आर्किटेक्चर को स्थापित किया जा सके जिसकी डिजाइन हैरिटेज कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट से बनाना अनिवार्य होगा। निदेशक, पुरातत्व द्वारा स्वयं इस कार्य को ASI के पैटर्न पर कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुरातत्व निदेशालय की होगी।
- (3) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (4) पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त/ टेण्डर के आधार पर परियोजना की संशोधित लागत से शासन को प्राथमिकता पर अवगत कराया जायेगा।
 - (6) पुरातत्व निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 - (7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा।
 - (8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
 - (9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेश ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
 - (10) प्रश्नगत स्वीकृति पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा।
 - (11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक/ वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।
 - (12) प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति का सम्पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 4202048001700** स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 39 /2026 / 365 (1)/चार-2026-1802291 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।